

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगान

अनवान दलपति सिंह आदि बनाम राजकिशोर सिंह आदि

प्रकरण संख्या २७ / २०२३ अन्तर्गत धारा २१२ RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जोड़ पाल
--------	-----------------------------------	----------------

12
11/23

अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूल प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २५(A) RTA का विस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक ०४/०३/२३ भी निरस्त की जाती है। पत्रावली गिणति होकर नम्बर से कम होकर दायिल दफ्तार हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

